**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/**
**चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात।**

**पीठासीन अधिकारी** (श्री सुधाकर राय),**(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP**06256

**विशेष सत्र परीक्षण संख्या–392/2019**

**UPRN010019152019**

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....अभियोजन पक्ष

**प्रति**

हरीओम सोनी पुत्र शिवराम सोनी, निवासी नयागंज, कस्बा व थाना अकबरपुर, कानपुर देहात।। ..... अभियुक्त

अपराध सं०–976/2017
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–अकबरपुर, कानपुर देहात ।

**निर्णय**

1– अभियुक्त हरीओम सोनी के विरूद्ध पुलिस थाना अकबरपुर,कानपुर देहात द्वारा वाद अपराध संख्या–976/2017, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम के अपराध में परीक्षण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथान है कि वादी मुकदमा हरी प्रकाश अवर अभियन्ता, द्वारा थाना अकबरपुर,कानपुर देहात को तहरीर दी गयी कि दिनाँक 8–9–2017 को समय 3.40 बजे, वह मय सहयोगियो के साथ संयोजनों की जाँच करने गये तो वहाँ पाया कि अभियुक्त द्वारा संयोजन लेने के बावजूद एक अन्य केबिल समीप की एल०टी० लाइन पर कटिया द्वारा मीटर बाइपास करके अवैधानिक तरीके से विद्युत चोरी किया जा रहा था। अतः उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त हरीओम सोनी के विरूद्ध थाना अकबरपुर,कानपुर देहात में दिनांक–12–9–2017 को समय 15.50 बजे वाद अपराध संख्या–976/2017, धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचक के द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी तथा मौके पर जाकर नक्शा नजरी तैयार किया गया, विवेचक ने संबंधित साक्षियों व अभियुक्त के बयानात अभिलिखित करने के उपरान्त समुचित रूप से विवेचना कर साक्ष्य संकलन के पश्चात् विवेचक द्वारा अभियुक्त हरीओम सोनी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया।

4– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक–2–9–2019 को अभियुक्त हरीओम सोनी के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की, जिस पर अभियुक्त का विचारण प्रारम्भ हुआ।

5– अभियोजन/विद्युत विभाग की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–01 के रूप में आरक्षी फूलमती को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–01, नक्शा नजरी प्रदर्श क–02, जी०डी० प्रदर्श क–3 व आरोप पत्र प्रदर्श क–04 को दाखिल व अपने प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित किया गया।

6– अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य सुनिश्चित करने के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–313 दंप्रसं नियत की गयी। अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक के संबंध में बताया गया कि कुछ नहीं व साक्षी के बयान के संबंध में कथन किया कि पता नही। मुकदमा गलत चलना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य देने का कथन किया।

7– अभियुक्त की तरफ से सफाई साक्ष्य में साक्षी/अभियुक्त हरीओम सोनी को डी०डब्लू०–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा अभियुक्त की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रदत्त प्रपत्र प्रदर्श ख–01 दाखिल किया गया।

8– राज्य की ओर से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी सं०–01 आरक्षी फूलमती ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए, कथन किया है कि दिनाँक 8–9–2017 को अवर अभियन्ता मय सहयोगियों के विद्युत चेकिंग हेतु अभियुक्त के यहाँ गये जहाँ पर अभियुक्त समीप की एल०टी० लाइन से अतिरिक्त केबिल जोड़कर विद्युत चोरी कर रहा था। उक्त घटना की तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी गयी जो पत्रावली में शामिल है जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली में शामिल नक्शा नजरी को प्रदर्श क–2, जी०डी० प्रदर्श क–3 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है जिसमें कोई विपरीत तथ्य उजागर नही हुआ।

10– बतौर सफाई साक्ष्य के रूप में साक्षी/अभियुक्त हरीओम सोनी स्वयं डी०डब्लू०–01 के रूप में परीक्षित हुआ है। डी०डब्लू०–01 हरीओम सोनी ने अपने सशपथ साक्ष्य में कहा है कि दिनाँक 3–11–2017 को अधिशाषी अभियन्ता द्वारा धारा–152 का प्रपत्र जारी किया गया है जिसमें समन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा करने का हवाला अंकित है, पत्रावली में शामिल है, जिस पर प्रदर्श ख–01 डाला गया। उपर्युक्त सफाई साक्षी से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसमें कोई विपरीत तथ्य उजागर नही हुआ है।

11– इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 आरक्षी फूलमती ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। साक्षी/अभियुक्त हरीओम सोनी डी०डब्लू०–01 ने अपने बयान में कथन किया है कि उसके द्वारा समन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क, बकाया राशि जमा कर दिया गया है, जिसके संबंध में विद्युत विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र पत्रावली में प्रेषित किया गया है जिसमें अभियुक्त द्वारा जमा किये गये शुल्क का विवरण अंकित है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा निर्धारण शुल्क व शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त प्रलेख पत्रावली पर प्रदर्श ख–01 के रूप में उपलब्ध है।

12– धारा–152 विद्युत अधिनियम 2003 में यह प्राविधान किया गया है कि समुचित सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी उपभोक्ता अथवा ऐसे व्यक्ति से जिसने अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी का अपराध कारित किया है अथवा जिस पर युक्तियुक्त ढंग से

उसके कारित किए जाने का संदेह है, तालिका में दिए हुए अपराध के समाधान के रूप में धनराशि प्राप्त कर सकेगा। धारा–152(2) भारतीय विद्युत अधिनियम में यह प्राविधान किया गया है कि उपधारा–1 के अनुसार धन की राशि का संदाय होने पर उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति मुक्त कर दिया जाएगा और किसी भी आपराधिक न्यायालय में उस उपभोक्ता के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही संस्थित अथवा जारी नहीं रखी जाएगी। धारा–152(3) विद्युत अधिनियम में यह भी प्राविधान किया गया है कि समाधान करने के लिए धन की राशि की प्राप्ति धारा–300 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दोषमुक्त मानी जाएगी।

13– प्रस्तुत मामले में अभियुक्त ने विद्युत विभाग के द्वारा निर्धारित शमन शुल्क, निर्धारण शुल्का जमा कर दिया है, जिसके संबंध में विद्युत वितरण खण्ड, पुखरायाँ, दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप धारा–135 विद्युत अधिनियम समाधान होने के आधार पर दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

## आदेश

अभियुक्त हरीओम सोनी को वाद अपराध संख्या–976/2017, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–अकबरपुर, कानपुर देहात में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं प्रतिभू निरस्त करते हुए उन्हें उनके उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक–07–04–2021 **(सुधाकर राय)**

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,

कानपुर–देहात।

आज उक्त निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनाकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–07–04–2021 **(सुधाकर राय)**

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,

कानपुर–देहात।

Digitally signed by Sudhakar Rai
Date: 2021.04.12 14:35:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court